

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/वृहत्तर पीठ/1132/2024,

दिनांक:-सितम्बर 25, 2024,

-:: आदेश ::-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन वृहत्तर पीठ से सम्बन्धित वादों के निस्तारण हेतु मुख्यालय पर दिनांक 28-10-2024 एवं दिनांक 29-10-2024 को वृहत्तर पीठ का गठन किया जाता है।

उक्त गठित वृहत्तर पीठ में मेरे अतिरिक्त श्री राजीव रंजन, एच0जे0एस0, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, इलाहाबाद, श्री अजय विक्रम सिंह, एच0जे0एस0, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, लखनऊ, श्री एस0पी0सिंह सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 लखनऊ एवं श्री विनय, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-5, वाराणसी सम्मिलित होंगे।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/-25.09.2024

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन - संख्या व दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1, पीठ-2 व पीठ-3 लखनऊ, पीठ-1 इलाहाबाद, पीठ- 5, वाराणसी।
- 2-मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर/नाजिर), मुख्यालय।
- 3-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।